

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य नूषि प्रबंध संस्थान परिषद, भुगतान विधि-३०२०१८ दूरभाष न. ०१४१-२७२२५२०

क्रमांक: प.14(109)RSSB/अर्थना/CET/सी.से./2022/वृ.३।

दिनांक: [१०.१०.२०२२]

विज्ञापन सं. 10/2022

समान पात्रता परीक्षा (Common Eligibility Test) (सीनियर सैकण्डरी स्तर)-2022

बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनरथ एवं लिपिकवर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम-2022 के अन्तर्गत निम्नलिखित सेवाओं हेतु समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) के लिए निर्धारित प्रक्रम ने ऑफलाइन आवेदन फॉर्म (Online Application Form) जारीकर्ता दिये जाते हैं:-

क्रम संख्या	सेवा का नाम	पद का नाम
1.	राजस्थान वन अनिवार्य रोड़ा	वनपाल
2.	राजस्थान अल्पसंख्यक गामलाल अधीनस्थ सेवा	छात्राचास अधीक्षक
3.	राजस्थान साचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा	लिपिक ग्रेड- II
4.	राजस्थान अधीनस्थ जायालय लिपिकवर्गीय सेवा	कानूनी सहायक
5.	राजस्थान लोक सेवा आयोग कायांलय लिपिकवर्गीय सेवा	लिपिक ग्रेड-II
6.	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (नियरक राज्य)	जगदार ग्रेड-II
7.	राजस्थान पुलिस अधीनरथ सेवा	कारस्टेफल

समान पात्रता परीक्षा(सीनियर सैकण्डरी स्तर) के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश-

- रागत यात्रा परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) मात्र एक पात्रता परीक्षा है। रागत यात्रा परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) में समिलित पद पर भर्ती सुसंगत रोड़ा नियमों के उपरकी परीक्षाओं के अनुराग की जायेगी। किसी अध्यर्थी का रागत यात्रा परीक्षा में उपरिथित होने तथा रुक्कों अंतिम छठे लेना मात्र है उसके नैकरों की गारंटी नहीं देता। अध्यर्थीयों को भर्ती एजेंसी द्वारा रांचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में आवश्यक रूप से उपरिथित होता। होगा और उसे अर्हित करना होगा और सुसंगत सेवा नियमों में अधिकारित अन्य कस्टी गो पूर्ण करनी होगी। समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) में समिलित सेवाओं के पदों पर भर्ती के लिये अलग सेवा का आयोजन किया जायेगा, जिसमें अध्यर्थीयों के चयन श्रेणीदार रिक्त पदों जे अनुराग वरिष्ठता के बाधार पर किया जायेगा। तुच्छ भर्ती परीक्षा का आयोजन एवं भर्ती की कार्यवाही उस सेवा के रोड़ा नियमों के अनुसार की जायेगी।
- रागत यात्रा परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी। समान पात्रता परीक्षा का रुक्कों परिणाम की दिनांक से एक दर्द के लिये मान्य होगा।
- बोर्ड द्वारा उन समस्त अध्यर्थीयों को अंक, जो उसमें पात्रता नीति में उपरिथित हुए हैं, इकाइता किया जायेगा।
- समान पात्रता परीक्षा में उपरिथित होने के प्रधाराओं की संख्या वे संबंध में जीई निर्धारित नहीं होती। अध्यर्थीयों के पास समान पात्रता परीक्षा ने अपना रुक्कों सुधारने का अवसर होगा। किसी अध्यर्थी का रागत यात्रा परीक्षा(सीनियर सैकण्डरी स्तर) में समिलित पदों के लिये आने वाली परीक्षा से पूर्व जो सर्वात्मक उपलब्ध स्फोर यान्त्र होगा।
- समान पात्रता परीक्षा(सीनियर सैकण्डरी स्तर) में उल्लेखित अधीनस्थ और जिपिकवर्गीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती को शासित करने पाए किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति समान पात्रता परीक्षा(सीनियर सैकण्डरी स्तर) में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए रांचालित लिखित अंकित या साक्षात्कार या दोनों में उपरिथित होने का पावर नहीं होगा यदि, उह जीईटी में इतने न्यूनतम अंक जो भर्ती एजेंसी द्वारा अवधारित किये जायें, प्राप्त करने में असफल रहता है। न्यूनतम अंक अवधारित करते समय, भर्ती एजेंसी यह विचार करेगी कि उसमें पात्रता परीक्षा(सीनियर सैकण्डरी स्तर) में उल्लिखित पद अंक नियमित रिकियों की कुल संख्या के बद्दह गुना अपर्याप्त। इस प्रकार विज्ञापित रिकियों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे किन्तु, उक्त श्रृंखला में उन समर्त अध्यर्थी वर्ग जो वहाँ अंक अंतिम नहरहे हैं जो भर्ती इंजेंसी द्वारा किसी विभाग श्रृंखला के लिए नियमित किये जायें, रागत यात्रा परीक्षा(सीनियर सैकण्डरी स्तर) में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संवालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में प्रवेश किया जावेगा। परन्तु यदि भर्ती पर्याप्ती की यह राय हो कि, समान पात्रता परीक्षा(सीनियर सैकण्डरी स्तर) में उल्लिखित पद पर भर्ती के लिए संवालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के साथात्कार भानक के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग वाले अध्यर्थीयों की पर्याप्त संख्या सिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपरिथित होने के लिए उपलब्ध हो। इस प्रयोजन के लिए, रिकियों की जुल अनुगमित संख्या के पद्दह गुना की

विचार ली संख्या सीमा हिंसिल नहीं जाएंगी। तथापि, लिखित परीक्षा वा जाक्सालकार या दोनों में उपरिथल होने के लिए, इस प्रकार अतिरिक्त रूप से अर्हता अभ्यर्थी, बोर्ड उनके प्रवर्गों के लिए जारीकृत पदों पर चयन के लिए प्रति होंगे।

6. समान प्राप्ति परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी रसाय) में उल्लेखित किरण पद पर भर्ती के लिए, शैक्षणिक अर्हता आयु, अनुभव आदि रखी होंगी जो उस पद पर भर्ती वाले शासित करने वाले सुसंगत सेवा नियमों में वर्ण विविहत हैं।

7. समान प्राप्ति परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी रसाय) में उपरिकृत हासि से चूर्द अभ्यर्थी द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित किया जाना चाहें कि वह समान अनुभव परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी रसाय) में सन्मिलित किसी पद हैं तु आयु शैक्षणिक अर्हताओं आदि, यदि कोई हो, फे संबंध में शर्त पूरा बनता/करती है। समान प्राप्ति परीक्षा के तियं अनुज्ञात किया जाना अभ्यर्थी को प्राप्ति वी उपराज्य समिति का प्राप्त नहीं बनायेगा।

1. ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया—बोर्ड द्वारा आवेदन Online Application Form लिये जाएंगे जिन्हे राज्य के नियमित ई-मित्र डियोर्स्ट/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भर जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वश्रम अभ्यर्थी किस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित राज्यस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकमीय सेवा (समान प्राप्ति परीक्षा) नियम 2022 का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। राज्यपाल ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें।

1. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को बोर्ड के ऑनलाईन पोर्टल <http://rsmssb.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.ओ पोर्टल <http://sso.rajasthan.gov.in> से Login पर Citizen Apps (G2C) गे उपलब्ध Recruitment Portal का व्यवहार कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार बार्ड/पैन कार्ड/पोटर आडे/डाइडिंग लाईसेंस आई.डी. नं से किसी एक आई.डी. प्रूफ के विवरणों का इन्प्राइंट एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने आवेदारी होगी।

2. अभ्यर्थी हासि One Time Registration (OTR) क्रमांक जनरेट होने के पश्यत् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार बार्ड/पैन कार्ड/पोटर आडे/डाइडिंग लाईसेंस आई.डी. दिवरण में किसी भी प्रकार की संशोधन किया जाना संवय नहीं होगा।

3. यदि अभ्यर्थी के आधार कार्ड में अश्वा जन्म आधार कार्ड में उसके नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग में कोई त्रुटि है तो इन त्रुटियों को पहले से ही दुरुस्त करा लेना चाहें।

4. यदि अभ्यर्थी अपना OTR रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड/जन्म आधार कार्ड के साध्यता से न करके SSO ID के साथसम से करता है तो उसे संकाण्डरी औ अंकहालिका प एक उच्चान परतावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा।

5. अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु डॉनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्यत् Recruitment Portal पर उपलब्ध सुविधा से परीक्षा शुल्क का गुणतात्त्व कर आवेदन पत्र क्रमांक (Application I.D.) जनरेट करना होगा।

6. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का गुणतात्त्व अभ्यर्थी को चौटल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें।

7. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का गुणतात्त्व की अंतिम दिनांक से चूर्द सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction का लाभित रूपायन समय रहते हो राके अन्यथा इसकी जिमोदारी रखने अभ्यर्थी जै होगी।

8. आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें। महत्वपूर्ण सूचनाएँ आलंदग में ही जॉबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती हैं।

9. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्यत् आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक (Application I.D.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा।

10. आवेदक जिस श्रेणी के सहाय आवेदन करते समय अग्र पिरी प्रकार वी कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें। ई-मित्र हैल्पलाईन नंबर 0141-2221424 / 2221426 एवं ऑनलाईन आवेदन संबंधी रामरत्याओं के लिये हेल्पलाईन नंबर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें।

11. आवेदक जिस श्रेणी के ताहत आवेदन करने हेतु प्रति है, उसी श्रेणी में ऑनलाईन आवेदन करें। गलत सूचना देने/लक्ष्य छुपाने पर शोर्ड अभ्यर्थी पर नियमग्रस्त फारवाही के लिए स्वतंत्र होगा।

12. Online Application Form में संभस्त वाहित रूचना अवश्य अंकित जरे। ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड ली वेबराइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ जें तथा इसमें विधे गए निर्देशों को व्याजे रखते हुए आवेदन गरें। कोई रूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी जिमोदारी रखने आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्थीकार नहीं किया जाएगा।

13. समान प्राप्ति परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी रसाय) के संबंध में समरत प्राचार बोर्ड ली वेबराइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in के साध्यत से किया जायेगा। कृपया इस भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिये बोर्ड की वेबराइट को नियंत्रण रूप से देखते रहें।

2. आवेदन एवं परीक्षा शुल्कः—आवेदक अपनी श्रेणी के अनुसूचित निम्नतुसार शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क था जन

सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा करवावें।

(ल) सामान्य वर्ग व कोमोलेशर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदन देतु—रुपये 450/-

(ख) राजस्थान के जन कौनसेपर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग एवं अधिक लग से कमजोर वर्ग के आवेदन हेतु—रुपये 350/-

(ग) समस्त दिशोष यांचयल तथा राजस्थान के अनुसूचित जनजाति के आवेदन हेतु—रुपये 250/-

(घ) कार्मिक विभाग के परिवर्त कमांक प.४(३) कार्यिक/क-२/१८ दिनांक ०२.०५.२०१८ के अनुसार रुपी वर्ग के ऐसे अन्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय २.५० लाख रुपये से कम हैं के लिये अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रुपये २५०/-देय है। (कृपया इस संबंध में नीचे अंकित नोट लेंगा ३ भी अवश्य लेंगे।)

नोटः—

१. राजस्थान राज्य से मिल अन्य राज्यों के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अर्थीक लग से लगावार वर्ग के अन्यर्थी लो समान्य वर्ग का अन्यर्थी नाम जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों लो सामान्य अन्यर्थी के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।

२. कॉर्स एवं वार जमा होने पर वार्डेस नहीं जीताई जाएंगी।

३. सभी वर्ग के एंस अन्यर्थी, जिनके परिवार ली वार्षिक आय २.५० लाख रुपये से कम है तथा हेतु परीक्षा शुल्क रुपये २५०/- ही जमा करते हैं, ऐसे अन्यर्थी अपने परिवार को वार्षिक आय २.५० लाख रुपये से कम होने का राक्षण ग्राहिकारी द्वारा जारी आय प्रणाली पर नुच्छ परीक्षा के बार की जल्दी याक्षी याक्षी की ओच एवं दस्तावेज के सत्यापन के राय लापरवाल रूप से प्रस्तुत करना होगा।

3. समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) के संबंध में विशेष निर्देशः—

- अन्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में अपनी श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी वाला सामूह्य, अर्थीक लग से कमजोर वर्ग, अनुसूचित ज्ञाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य विछड़ा वर्ग एवं जनजाति की सहायिता जारीक जरूर का निर्धारित कौशल में रुपट रुप से उल्लेख वर्ते। इसके बावजूद पर एंस कुछ शुल्क परीक्षा में श्रेणी का निर्धारित विषय जायेगा।
- इसी प्रकार अन्यर्थी अपनी क्षेत्रिक श्रेणी वाला सामूहिक, विशेष, गरिमलक्षण, दिव्यांगजन(B/LV, HI, LD/CP, M1/M2) भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी का भी ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित कौशल में रुपट रुप से उल्लेख करें। इसके बावजूद पर एंस भूतपूर्व परीक्षा में क्षेत्रिक श्रेणी का निर्धारित विषय जायेगा।
- अनुसूचित श्रेणी के आवेदक ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कौशल में रुपट रुप संउक्त करें। अनुसूचित क्षेत्र के लिये छोड़ल राजस्थान राज्य के अनुसूचित श्रेणी के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।
- भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में गती संबंधी समस्त कार्यालयी राजस्थान निपाल भेंवा (झुलझुले सैनिकों का आमेलन) नियन—१९६८ वाला संशोधित के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। “भूतपूर्व सैनिक” के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए हैं, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है, अस्प्रेत है। राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जायेगा।
- उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक K.S.(J)D.O.T.WA-11/2018 दिनांक 21.11.2018 के अनुसार देय होगा।
- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, २०१८ द्वारा संरोचित के अनुसार दिव्यांगजनकी नियन्त्रित श्रेणियों को आरक्षण का लाभ देय होगा—

i. B/LV (Blindness/ Low vision)

ii. HI(Hearing Impairment)

iii. LD/CP(Locomotor Disability) Including Cerebral palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid attack victims & Muscular dystrophy

iv. Autism, Intellectual Disability, Specific Learning Disability & Mental Illness.

v. Multiple Disabilities from amongst persons under clauses (i) to(iv) including deaf-blindness in the posts indentified for each disabilities.

नोट— नियु संबंधित लिंगांग हीरा यदि विशेष के लिए उपरोक्त दिव्यांगजन श्रेणियों में से छूट/सिथिलान लेने पर उपयुक्त दिव्यांगजन श्रेणी को ही उस यदि के लिए नोट भाना जाएगा।

4. पात्रता एवं औक्षणिक योग्यता:-

क्र. सं.	विमाग का नाम	पद का नाम	आयु सीमा (01.01.2023)	औक्षणिक योग्यता
1.	वन विभाग	वनपाल	४८-५० वर्ष	राजस्थान भौत्यगिल शिक्षा वार्ड, अजमेर से या कन्तीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सौनिधर सैकण्डरी (१५+२) या राजकार मूर्ति उत्तरक समत्रुद्ध धोक्षित परीक्षा उत्तीर्ण।

2	जनसंख्या विभाग मानवाधिकारी	जनावरास उद्योग	18-40 वर्ष	किसी जनसंख्या प्राप्त बाई से लौटियर सेक्टरों या उसके समतुल्य परीक्षा। और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के नियन्त्रणादेश डिपार्टमेंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एकीडिटेशन नेटवर्क आफ ईडिया (DOEACC) हाल जावेजित "ओ" लेवल का उच्च तर जटिलिक्षण
3.	संचारशास्त्र विभाग सेवा कार्यालय	डिपिक्ष उड-॥	18-40 वर्ष	इयरशिप प्रशिक्षण योजना के राष्ट्रीय परिवार्षिक लॉस्टिलोज़ / राज्य परिवर्ष (रेट लॉस्टिलोज़) के अधीन आवेजित Computer operator & Programming Assistant (COPA)/ Data Preparation and computer software (DPCS)लॉर्स का प्रनाम पद या इनआईएसएलआईटी, नई लॉस्टिली छन्दा आवेजित कम्प्यूटर संक्षणा का प्रनाम पद प्रदायकन।
4.	इयरशन संविधालेय	डिपिक्ष ग्रेड-॥	18-40 वर्ष	भारत में विशेष डार राष्ट्रीय विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर साईंस/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन में लिस्टोफ़/ डिपी/ प्रकाश पद या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पोलिटेक्निक संस्थान से कम्प्यूटर साईंस एवं हजीनेलीरिंग में ३ साल का लिस्टोफ़
5.	राज्य के अधीनस्थ विभाग/ कार्यालय	कपीष्ट सहायक	18-40 वर्ष	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पोलिटेक्निक संस्थान से कम्प्यूटर साईंस एवं हजीनेलीरिंग में ३ साल का लिस्टोफ़ या राजस्थान नैलज लॉस्टोरेशन लिमिटेड के नियन्त्रण में लैनान नहायर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा आवेजित राजस्थान स्टेट संटिक्विट इन इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी (KS-CIT)कोर्स का प्रनाम पद
6.	आकारो विभाग	जनावर ग्रेड-॥	18-40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर रोयल्डरों या उसके समतुल्य परीक्षा और राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय डिपिक्षपर्सिय सेवा नियम, 1999 में यथा विनियिष्ट कम्प्यूटर उद्देश्य पूर्व सेवा कार्मिक के बाले में रक्ता सेवाओं में नॉन-कमीशन अधिकारों के रैक का भूत्पूर्व रोना कार्मिक;
7.	पुलिस मुख्यालय	फोर्सेटेल	18-25 वर्ष	मान्यता प्राप्त स्कूल/ पर्सेन्स बोर्ड से सीनियर सेक्षन्हरी या बारहवीं कक्ष या शारीक संविधान परीक्षा उत्तीर्ण।

जो व्याकें भाद्रुक्त के अंतिम वर्ष को प्लॉया में उपस्थित हुआ है या स्टैम्पिला हो रहा है, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए रीक्षिक योग्यता की आवश्यकता है एवं सीधी भर्ती के लिए उच्च उक्त वर्ष के लिए अधिकार करने के लिए पत्र होगा लेकिन वह उसे उपयुक्त रूप से रजिस्टर करने के लिए योग्यता प्राप्त करने एवं प्रगाण प्रस्तुत करना होगा।—

1. नुस्खा परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहाँ विचित्र परीक्षा और साकारकार के दो वर्गों के नामन से चयन किया जाता है।
2. साकारकार में उपस्थित होने से पहले जहाँ विचित्र परीक्षा और साकारकार के माध्यम से चयन किया जाता है।
3. विचित्र परीक्षा या राजाकार में उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल विचित्र परीक्षा या केवल साकारकार के गाध्यन से अधन किया जाता है, जैता भी नाम्भा हो।

समान पात्रता परीक्षा हेतु नियांसित शैक्षणिक योग्यता के विविध वर्ष में उपलिल छोड़े बाले हैं या सोन्पलित हो रहे हैं अध्यर्थी आवेदन कर सकेंगे एवं उन्हें नियांसित शैक्षणिक योग्यता मुद्य भरीका त्रिधि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी; अन्यथा परीक्षा के बाद रीक्षिक योग्यता आवेदन करने वाले अध्यर्थियों को समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सेक्षन्हरीतर) में शामिल चर्चों जी गती हेतु आवेदन नहीं माना जाएगा।।

5. आयुः— समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सेक्षन्हरी रत्तर) में शामिल चर्चों जी भर्ती के लिये आयु सीमा संविधित पद से राबित सेवा नियमों में घोषित अनुसार होगी। संबंधित पद के सेवा नियमों में वर्तमान आयु सीमा हेतु संख्या ०१ पात्रता एवं रीक्षिक योग्यता के कोलम संख्या ०४ में दर्शाये अनुसार होगी।

नोट-०५ यह सामान ने अधिसूचना नियम 23.09.2022 द्वारा दियिन सेवा नियमों में सांसाधन कर आयु सीमा में छूट देय होगी। अधिकतम आयु सीमा में छूट नियमानुसार देय होगी:-

"The person who was within the age limit on 31.12.2020 shall be deemed to be within the age limit upto 31.12.2024."

चक्कतम आयु सीमा में अन्य विशेष क्रेणियों में छूट नियम प्रकार देय होगी:-

1. अधिकतम आयु सीमा में—
 - (अ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछला वर्ष/अति पिछला ८वा/आर्थिक रूप से कागजार वर्ग के दुल्ह अध्यर्थियों को, जो योग्यता के गूल नियासी है, के गाम्ले में ५ वर्ष तकी छूट दी जायेगी।
 - (ब) सामान्य वर्ग की गवेल अध्यर्थियों के गाम्ले में ५ वर्ष तकी छूट दी जायेगी।
 - (स) अनुसूचित वाहि/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछला वर्ष/अति पिछला वर्ष/आर्थिक रूप से कागजार वर्ग की महिला अध्यर्थियों को, जो योग्यता की गूल नियासी है, के गाम्ले में १० वर्ष तकी छूट दी जायेगी।

- आधिकतम आयु सैना उस भूत्पूर्व कीपी के नामले में लागू नहीं होती दिशने राजा गितने रो पूर्व राजार के अधीन किसी पद पर संरक्षाई आवार (Substantive)पर सेवा की हो और जो सला एने से नई नियमों के अधीन नियुक्ति का फ़ज़ل आ ;
- अधिकतम आयु की सीमा से किसी ऐसे भूत्पूर्व कोटी के नामले में उसके हारा भोगी गई रुज़ा की अपाधि को वरावर काल रफ़ की छील दी जाएगी, जो इस राजा गितने से पहले आधिक आयु का नहीं हुआ था और नियमों के अन्वेन नियुक्ति के लिए योग्य था ।
- एन.रोडी. कॉडेट प्रशिक्षकों (Cader Instructor)को उनकी बन्स्ट्रिक आयु में ही जनना समय घटाने की उनुनति दी जाएगी जिसना समय उन्होंने एन.सो.सी. की सेवा में विताया है यदि सस्ले वरिष्ठ स्वरूप उनकी आयु सप्तरूप नियोजित अधिकतम आवधि ३ वर्ष तो ज्यादा नहीं हुई हो ।
- राज्य सेवा ने एक पद के लिए अन्यथा रूप से नियुक्त किए गए व्यक्तियों को उन्हुंनी सीमा के भीतर माना जाएगा यदि वे आदु रीया के भीतर थे, जब वे शुरू में नियुक्त किए गए थे, भले ही वे आयु सीमा पार कर चुके थे, जब वे चयन योर्ड के समल प्रस्तुत हों, और दो अवरस्तो दफ़ को अनुनति दी जाएगी, जैसे वे अन्वेन प्रारंभिक नियुक्ति के समय पात्र थे ।
- सेवा में नुवात होने के बाद जारी किए गए आपातकालीन लम्होंचन अधिकारी और शॉर्ट सॉर्वेस लम्होंचन के अधिकारियों के सम्में में नियोजित आयु सीमा में जना जाएगा भले ही वे नियोजित आयु सीमा को पापा कर चुके हों वे बढ़ वे चयन योर्ड के साथ प्रस्तुत हो ।
- 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से यात्रा भारत आये व्यक्तियों के मानले में कोई आदु रीया नहीं होगी ।
- नेजरिट्वे अधीक्त रिजर्व में स्थानान्तरित रुज़ा कार्मिकों एवं भूत्पूर्व सैनिकों के मानले में अधिकतम आयु सीमा ५० वर्ष होगी परन्तु कास/वीर चक वा कोई अन्य उच्च विशेष दोन्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा ६२ पर्फ रफ़ शिथिल करने योग्य होगी । भूत्पूर्व सैनिकों के लिये आयु में स्थानान्तरित आयु सीमा में जना जाएगा भले ही वे नियोजित आयु सीमा को पापा कर चुके हों बढ़ वे चयन योर्ड के साथ प्रस्तुत हो ।
- प्रिवेटों और विभिन्न विधान विभिन्नों के गांगले में योर्ड आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार हारा नियेचत वीं गई सेवानियुक्ति आयु से उसकी आयु कम होनी जाहिये ।
- राज्य सरकार, पंचायत समिति तथा जिला परिषदों और राज्य परिषद शेक्टर उपचान/नियमों के लाईकाताणों के संबंध में अधिकारी देखियत से देखा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में उपरोक्त आयु सीमा ५० वर्ष जारी ।
- राज्यान दिव्यांगजन अधिकार (रांशोधित) नियन-2021, ले नियन ८(A) में लिए गए ग्रामान के अनुसार संवैधित सेवा नियमों में नियोजित अधिकारी आयु सीमा में दिव्यांगजनों को ०५ वर्ष की आदु सीना में छूट दी जाएगी । विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगजनों की आयु सीमा में छूट सेवा नियमों में नियोजित आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी ।

स्पष्टीकरण— विधिक महिला के मानले में उसे शक्ति प्राप्तिकारी रो उल्लंघन जहि की गृह्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है विवाह विश्लिन गहिला के गांगले में उसे विवाह विश्लिन (जिकी) का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा ।

नोट-

(क) लगावकत दिनु ५ की कास १ से ११ पर घोर्णेत आयु सीना में छूट के प्रावधान “Non Cumulative” है अधोत अधिकारियों जो उपरान्ती कास १ से ११ में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का साम दिया जाएगा । एक से अधिक प्रावधानों को जाल कर छूट का साम नहीं दिया जाएगा ।

6. आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा करने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि:-

- परीक्षा शुल्क राज्य के नियोजित ई-मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C), नेट प्रैक्टिक, ए.टी.एप कग ऐविट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 12.10.2022 से दिनांक 11.11.2022 को तात्र 23.३९ बजेकरपास कराया जा सकत है ।
- ऑनलाईन आवेदन वत्र दिनांक 12.10.2022 से दिनांक 11.11.2022 को तात्र २३.३९ बजेकर बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं (इसके उपरान्त लिंक नियित हो जाएगा) । आवेदकों को सत्रह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इत्तजार विश्व दिना राज्य सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करें ।

7. परीक्षा आयोजन:-

सनान प्राप्ति परीक्षा (सीनियर सेकण्डरी स्तर) की परीक्षा दोर्ड हारा दिनांक 18.02.2023, 19.02.2023, 25.02.2023 एवं 26.02.2023 को आयोजित करायी जाएगी । इस संधृप में दिव्यांग सूखना बोर्ड की वेबसाइट एवं प्रेस चिजिति के नाम्यम से उल्लग से तो ही लायेमी बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परियोजन लगाने का अधिकार सुरक्षित है । यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो समानीकरण (Normalization) की कार्यवाही की जाएगी ।

8. प्रवेश पत्र:-

बोर्ड हारा सनस्त अधिकारियों को बोर्ड की वेबसाइट के द्वायम रो ही ऑनलाईन प्रवेश-पत्र जारी किये जाएंगे । योर्ड हारा छाता से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं मेज़ा जाएगा । बोर्ड यी लेवराईट पर प्रवेश-पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के भाष्यम रो जाएगी । लेवेल अपना प्रवेश-पत्र वेबसाइट से प्राप्त करने द्वायु आवेदन पत्र कमांक एवं जन सुविधा (C.S.C) पर फौस जमा करने को टोकन नम्बर द्वायन में रखें । उपलब्ध रासायनों एवं सुविधा के जनावार पर प्रवेश-पत्र सम्पन्नी सूचना छापिएक के ई-मेल आईडी (E-mail ID) एवं गोबाइल नम्बर पर भेजी जा सकती है ।

9. नियुक्ति की अयोग्यताएँ :-

(1) किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक का जिसकी ५० से अधिक लीबी पत्ती हो जननित किए जाने या नियुक्ति के लिये गाव नहीं माना जायेगा। किसी आवेदक को इस लियम की अपेक्षाही से छूट दें जो राक्ती है यदि सरकार रात्रुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आवाद है।

(2) किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं गाव जायेगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दो जो सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आवाद है।

(3) कोई भी डिवाली आवेदक जेव ने नियुक्ति करने के लिए गाव नहीं होगा/होनी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज लीवाल किया हो।

(4) एतत् कोई भी अस्थी, जितके १-०-२००२ के या उसके गश्चाप् दो रो अधिक बढ़े हो, रोल में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक तक जिरहिंस नहीं समझा जायेगा, जब तक कि १ जून २००२ के छिठमान उत्तराले बच्चों की संख्या में बढ़ावाली नहीं होती।

परन्तु यह और पि: उहाँ किसी आवेदक के धूर्यतर प्रसव से क्लेवल एक लक्ष्य है जिन्हु किसी एक गश्चात्यरी प्रसव से एक से अधिक बच्चे वैल होते हैं यहाँ बच्चों की कृत संख्या की गणना करते समय इस प्रकार नेत्र हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की स्ततानों को कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी स्थान की, जो पूर्वतः प्रसव से पैदा हुई हो और जिशकता हो, गणना नहीं हो जाएगी।

(5) कोई भी लम्हीदावार जिसों राजस्थान कर्मचारी उन बोर्ड दे छद्मकारिता (उनां आप की अन्य व्यक्तित द्वाना बताना) करते, या काम-रात्रि किए हुए जानी वस्त्रपेश पेश करने या गलत प्रश्न देने या महत्वार्थी सूक्ष्म छिकने या परीक्षा में झन्नुचित तरीके काम ने होने या सेने का प्रयत्न करने, या परीक्षा ने प्रवेश फसा करने के लिए कोई अन्य अनिवार्य या अनुचित तरीके अपनाने का दर्शी प्रोग्राम किया हो, यह अधेन आप को लोजदारी मुद्दों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए स्थार्ट लप से या राजस्थान कर्मचारी चापन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए दाखिला (Debutard)कर दिया जायेगा।

10. ऑनलाइन आवेदन के विशेष निर्देश:-

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अनियम द्वारा दाता हो; स्तोकार किए जाएंगे। आवेदक अवेदन पत्र प्रोप्रिएट करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विद्यापत्र के नियमनुसार दाताना जो समस्त दर्ता पूरी करता है एवं पद के संबद्ध ने चाही अवश्यक समस्त सूचनाएँ संबंधित कॉलम में राहीं-रहीं एवं दूरी भरी गई हैं। समस्त प्रयोगिता पूर्ण एवं सही होने की स्थिति में बोर्ड हारा आवेदन पत्र अस्थीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरो गई सूचना वही ही सही मानते हुये परीक्षा में अरक्षाई प्रयोग दिया जाएगा। इसकी समरत यिन्माली आवेदक की होगी।

2. बोर्ड हारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरो गई रुपनाओं के आधार पर ही अग्रवेदीयों की पात्रता (जग्या, योग्यता, क्षमी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक हारा भरो गई सूचना के अधार पर एवं अशय पाया जाता है तो उसका ऑनलाइन आवेदक पत्र अस्थीकृत कर दिया जाएगा जिसकी समरत यिन्माली स्थित आवेदक की होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई प्रतिक्षियों में संबोधन की अवधि समाप्त होने के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं हो जाएगी और न ही इस सदान्ध ने कोई प्रार्थना पत्र लोड हारा स्पीकार किया जाएगा।

3. बोर्ड हारा ऑनलाइन आवेदन पत्र अन्तिन दिनाक तक बोर्ड लायलिड को पूर्ण सूचना संहित प्राप्त होगे, ऐसे आवेदकों को बोर्ड हारा अन्तिन (Postversional) रूप से प्रपेश किया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अनिप्राप्त नहीं है कि बोर्ड हारा उसकी उम्मीदपारी अनियंग रूप से सही भाव ली गई है अथवा उम्मीदवार हारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रतिक्षियों बोर्ड हारा सही नान जी गई है। बोर्ड हारा आवेदकों की यात्रा की जांच मुख्य परीक्षा के बाद जल्म रो रही जाएगी।

4. कोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-

फोटो अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-

a. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर अवेदन अस्तीकृत किया जा सकता है।

b. आवेदक को नदीनदाम रंगीन फोटो (अधिकतम इन नाड़ पुराना) अपलोड करनी चाहिए। नोबाईल या अन्य रखयं रघित फोटो का जल्म रही जाए।

c. फोटो ली पृष्ठभूमि (Background) सकेद वा हल्के रंग की होनी चाहिए।

d. फोटो में अधिक की चेहरा कम से कम ५० ग्रेटिश जग्या धेरना चाहिए।

e. फोटो में आवेदक का चेहरा एवं शिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होनी चाहिए। आवेदक का सिर, ऊंख, नाक और ढोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।

f. लॉट आप चर्चा परन्तु है, तो फोटो जिन्हाते रानय चर्चा परन्तु रानय राकते हैं लोकेन वश्वेत पर चनक (Flash) नहीं होनी चाहिए।

g. आवेदक ली कोटों में काला या धूप का धरभा नहीं होना चाहिए।

h. फोटो जेपीईजी (JPEG) ग्राजप में होना चाहिए एवं इसकी शाईज 3.5 cm × 4.5 cm होनी चाहिए।

i. फोटो जेपीईजी (JPEG) के एक्सेल न्यूनता 240 × 320 एवं अधिकतम 480 × 640 (0.3 मेगापिक्सल) होना चाहिए।

j. काईल का आलार ५० के बीं १०० के बीं तक होना चाहिए।

k. परीक्षा के रानय प्रवेश पत्र/उपरिक्षते पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खाली चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य किया जा सकता है।

5.हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-

- a. आपेक्षक १फैली कागज (A4 size) पर 7 सेमी बौद्धी तक 2 सेमी लैंबाई के एक आवताकार बॉक्स के भीतर लाले गा गहरे गौले रग के नीचे इस्ताबास रखें।
- b. हस्ताक्षर कोठल आवेदक द्वारा किया जाता वाहिए हन्ता किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।
- c. आवताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को रखने करवाकर आवताकार बॉक्स तक लौट करने के पश्चात् अपलोड करें।
- d. परीक्षा के सभी प्रवेश पत्र/उपरिधित गत्र गत किये गयेआवेदक के हस्ताक्षर अपलोड हस्ताक्षर से में ताने वाहिए अन्यथा रामनीदवार अधिकार द्वारा याजा जाकता है।
- e. केवल ऐपीईजी(JPEG)फाल्गुन के स्थीरगत फ़िल्म जाएगा।
- f. जेपीईजी(JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सेल 280 × 80 से अधिकतम पिक्सेल 560 × 160 होना वाहिए।
- g. फ़ाइल का अकार 20 के बीच से 50 के बीच राह छोटा चाहिए।
- h. हस्ताक्षर ला आकार 60 फैली से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- i. मोबाइल कॉन का प्रयोग कर जिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ रजीकर गली रखेगा।

11. श्रृत लेखन की सुविधा- शासान्वतया सभी परीक्षार्थियों को प्रेसन-हस्त दस्त्यां अपने हाथ से लिखने होंगे, योगत रजारूपन दलालाजन अधिकार नियम २०१८ में वर्णित ऐसे विशेष शोधजन्म (निक्षिप्त (Bipartite) सूर्योदाहुती एव अल्प दृष्टिप्रतिक्रियात्मक) या शारीरिक रूप से निश्चाता (जो गांव फटे होने पा चंगाहीयों नहीं होने के कारण लिखने में क्षमताहृ तृप्त विकास देव नहीं होती। श्रृतलेखक उपलब्ध करायें जाएंगे। प्रत्येक दृच्छानावश जोखन कार्य री उसका हृतृप्त लृप से असमर्थ हुए अभ्यर्थीयों लो यह सुविधा देव नहीं होती। श्रृतलेखक उपलब्ध लाने हेतु ऐसे परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते हों विशिष्ट लिंगोंसे एव श्रीकां ग्रामीण जात्यां जाने ले करन से करन तीन दिन पूर्वावधित परीक्षा कंप्लेक्स के सभी उपस्थित होकर विकित विकास पत्र सहित श्रृतलेखक भी व्यवस्था हेतु अनुरोध करें और प्रगति एव लृप की स्थि प्रभागित एक प्रतीकेन्द्रीयको भी भी ही जायेगी।

12. ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया-बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। जॅगलाइन आवेदन Submit किए जाने के पश्चात यह आवेदक यो किसी बकार की त्रुटि का गता लाना है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में OTR Profile में दर्शनी गये स्वर्ण के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है-

1. यदि योई अभ्यर्थी आपने ऑनलाइन आवेदन में जारीकरण कराया है तो आवेदन प्राप्ति की अतिम दिनांक के पश्चात ०७ दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300/- रुपये शेषर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन में अन्यर्थी के नाम, पिता के नाम, माता के नाम एव घट नाम, जन्म तिथि, लिंग के बतावा अन्य अधिकारियों में संशोधन किया जा सकता। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन छर्ट एवं संशोधन हेतु निर्धारित लील जना जरूरती की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया ले सकता ही होती।
2. यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि रुट जाती है तथा वह किसी करण्वश आवेदन लगाने की अंतिम दिनांक के पश्चात ७ दिवस के भीतर अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है तो उसे अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने का एव आर अतिम अवधर्ष वरीया अधिकार ले पूछाएँ ऑनलाइन त्रुटि संशोधन हेतु एव निश्चित सनाव दिया जायेगा जिसमें अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि को ऑनलाइन जारीकरण करने के मामला से ही जायेगी। उक्त निर्धारित रामग में अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में अनिवार्य संशोधन शुल्क 300/- रुपये ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान भूतान कर संशोधन करने के समान अभ्यर्थी लेवल क्लीनी, शोलिय श्रेणी, विशेष श्रेणी/उच्च श्रेणी, वैयाकीक रिक्ति यथा पिंडप, परिवर्तन इत्यादि में संशोधन लग सकेगा।
3. अभ्यर्थी आपने ऑनलाइन आवेदन में जारी स्वर्ण के नाम, माता-पिता के नाम, ईक्षणिक योन्यता, कंठों रखे अपने इस्ताक्षर गौले तशोधन नहीं कर सकेगा। आवेदक को अपने नाम, माता-पिता के नाम, पिता, ईक्षणिक योन्यता, गौले एवं इस्ताक्षर से संबंधित त्रुटियों में संशोधन के लिये (ज्यान होने की स्थिति में) पात्रता की जांच एवं प्रतिवेदियों के सत्यापन के समय वर्षात्म साथ प्ररुत करने पर अव्यक्त दिया जायेगा।
4. इसले पश्वाद् ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होता।

13. आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम-आवेदकों को अपने ऑनलाइन आवेदन में रानरत सूचना सही-सही अकिल करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीकार/अभिजात्यर/बोर्ड हस्त प्रियुक्त अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनीपरीया। पातन करना चाहिए, ऐसु न करने अथवा परीक्षा कोन्व पर किसी प्रकार का उत्तुता ध्यवहार करनेएवं परीक्षा में अनुचित साधनों का ग्रथोप/उपभोग लगाने पर परीक्षार्थी ले विरुद्ध बोर्ड/केन्द्राधीकार जो भी अद्वितीय समक्ष समस्त कार्यपाली कर सकता है तथा अभीकार्यों के विलाक राज्यान्वय साविजानक परीक्षा (न्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाद) क्षमित्यनियन 2022 के अन्वान्त एवं दोर्व द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behaviour/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination" तथा "The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016" के अनुसार कार्यवाली की जा सकती है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित तर्ज एवं भारणी की विलुत् सूचना बोर्ड की विवादित एवं गई है।

14. समान पात्रता परीक्षा (सौनियर सैकण्डरी स्तर) हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रमः—

परीक्षा की स्कीम

विषय विवरण	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	समय
राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान एवं विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान (EVERDAY SCIENCE), ताकिंक विद्यवन एवं मानसिक योग्यता, सामाजिक ग्लोबल General English, कन्फूट्र का ज्ञान, राजसभाविक घटनाएँ।	150	300	03:00 HR

- नोटः—**
- सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे एवं सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे।
 - इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन (Negative Marking) नहीं किया जायेगा।
 - सभी प्रश्न सौनियर सैकण्डरी स्तर के होंगे।

पाठ्यक्रम विवरण

राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत :-

- प्राचीन सम्प्राण : काटीडंगा, आहुड़, एफेश्वर, बालाथल और वैराळ।
- राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ, प्रगुच्छ विवरण, उनकी प्रशासनिक द राजस्थान व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयोग।
- रथयापत्र बद्ला की प्रमुख विशेषज्ञाएँ — किंतु एवं सारक, कल एवं चित्रकलारं और हरतशिल्प।
- राजस्थान में रवतन्नता आनंदोलन, राजनीतिक जनजागरण एवं प्रजागरण आनंदोलन।
- राजस्थान का इकोकरण।
- लोक भाषाएँ (योगियाँ) एवं साहित्य।
- लोक संगीत एवं लोक नृत्य।
- लन्त, कलि, थोक्का, लोक देवता एवं लोक देवियाँ।
- गले एवं त्यौहार, श्रीति शिथाज, देशभूषा तथा अभूषण।

भारत एवं राजस्थान का भूगोल :-

- भारत के भौतिक स्वरूप : पर्वत, घटार, नक्करथल एवं नदीयाँ, ग्राम, झीलें एवं सागर। वन्य जीव एवं अभ्यारण्य।
- राजस्थान के प्रगुच्छ भौतिक स्वरूप : जलवायु दवारा, वनरूपता एवं मृदाएँ। नदिया, बांध एवं झीलें। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन : खनिज अम्पता, बन सम्पद, जल-संराधन, पशु सम्पद। वन्य जीव, अभ्यारण्य एवं रांगड़ण। उनसंख्या, वृद्धि, वन्गत्य, सकारता इटं जिंगानुपात। प्रभुत्व जनजातियाँ। राजस्थान में गर्फठन।

राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था :-

- भारतीय राजवेद्यान की प्रकृति, प्रस्तावना (उद्देशिका), गोलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक बल एवं भौतिक कर्त्तव्य।
- राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था : राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निवाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य नन्दव अधिकार आयोग, राज्य का भूत्य संविव, जिला प्रशासन।
- राजनीत रद-राज्यन एवं पंचायती चाल।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था :-

- राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक दिक्षांत — राजस्थान की प्रमुख कराजें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख रिंचार्ह परियोजनाएँ, करु भूमि के विकास उन्नासी परियोजनाएँ, हस्तशिल्प उद्योग, बैरोजगारी, सूखा और अकाल।

- राजस्वान में विभिन्न कल्याणकारी पोजनायें, गहरगा गांवी, राष्ट्रीय ग्रन्तीण रेजिस्टर नारंटो अधिनियम (MNREGA), लिकाल संस्थायें, लघु उधम एवं दिल्लीय संस्थायें, घोषिती शाज संस्थाओं की ग्रन्तीण विकास तंत्रज्ञान।
- राजस्वान का औद्योगिक विकास — प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र। लघु कुर्टीर एवं ग्रामीणी।
- राजस्वान में लज्जों के विभिन्न रूपों जल डिट्रूट, रायोव, अनुप पद्धति एवं रोर लज्जों।

दैनिक विज्ञान (EVERDAY SCIENCE) :-

- गौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन (Physical and Chemical Changes); ऑक्सीकरण एवं अमृतयन अणिक्रियाएँ (Oxidation and reduction reactions); उत्प्रेरक (Catalysts)
- धातु, अधातु एवं इनके प्रमुख यौगिक (Metals, non-metals and their important compounds); लानान्य जीवधर्म में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक (Some important compounds used in daily life)
- खार्बन हथा लाईन के गहराये यौगिक (Carbon and important compounds of carbon); हाइड्रोकार्बन (Hydrocarbons); कार्बन के अपराज्य (Allotropes of carbon); फ्लोरो-फ्लूओरो कार्बन वा फ्रिंग्स (Chloro-Fluoro Carbon or Freons); सी एन जी (Compressed Natural Gas); बहुलक (Polymers); राबुन एवं अप्पर्टर्मिक (Soap and detergents)
- प्रकाश का परावर्तन एवं इसके नियम (Reflection of light and its laws); प्रकाश का वर्ण विश्लेषण (Dispersion of light); लेंस के प्रकार (Types of lenses); दृष्टि दोष तथा उसका निवारण (Defects of vision and their corrections)
- अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी (Space and information technology); भारत का अंतरिक्ष अनुरोधान कार्यक्रम (Space research programme of India); सूदाना प्रौद्योगिकी (Information technology)
- आनुवंशिकी से सम्बंधित लानान्य शब्दावली (General terminology related to genetics); मेंडल के आनुवंशिकता के नियम (Mendel's law of inheritance); गुणसूत्रों की संरचना (Structure of Chromosomes); न्यूक्लिक अम्ल (Nucleic Acids); प्रोटीन संश्लेषण का अन्दोष सिद्धान्त (Central dogma of protein synthesis); लंगुष्ठ में लिंग निर्दिष्ट (Sex determination in human)
- पर्यावरण अध्ययन (Environmental study) : परिस्थितिक तंत्र की संरचना (Structure of ecosystems); परिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक (Biotic factors of ecosystem); परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह (Energy flow in ecosystem); जैव भू-रसायनिक चक्र (Biogeochemical cycles); जैव प्रौद्योगिकी : लानान्य जानकारी (Biotechnology - General information); जैव-पेटेन्ट (Bio-patent); नई पादप किसीं का परिवर्तन (Development of new plant varieties); ट्रैसिजेनिक जीव वा प्रैजीनी जीव (Transgenic organisms)
- जन्तुओं का आर्थिक महत्व (Economic importance of animals); पादपों का आर्थिक गहराय (Economic importance of plants)
- रक्त सागूह (Blood groups); रक्ताधान (Blood transfusion); आर-एच-फारक (Rh factor)। रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य (Pathogens and human health); कुपोषण तंत्र मध्य स्वास्थ्य (Malnutrition and human health)। नगर रोग : जारण एवं निदारण (Human disease : Causes and cures)

तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता :-

- वैदिक विज्ञि जो पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनकल, पर्मनूल, घनतूल (6 अंकों की राज्याङ्कों तक)
- गुणालेण्ड, बहुपद के गुणनखण्ड, समीकरण, दो अरों बाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघुगणक।
- अनुपात: समानुपात, ग्राहितात्त्व, लाभ-हानि, साझा, सरल व्याज, चक्रवृद्धि व्याज, बट्टा।
- एक छिन्न जर उनसे बाले कोण एवं रेखाएँ, राखल ऐकीय आकृतियाँ, छिन्नों को राखागसमझ, सगलप द्विमुख, कार्तीय निरैक्षणिक अद्वितीय, दो बिन्दुओं के द्वय दूरियाँ, दो द्विमुखों के द्वय दूरियों का आन्तरिक एवं बाह्य विभाजन।
- समतल आकृतियों का आकृतकल, धृत की परिधि एवं क्षेत्रफल, घन, घनता, घोल, राकु तथा बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन।
- कोण एवं उनके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमिकार्ण, जैवाई-दूरी की सामान्य समस्याएँ।
- अंकाङ्कों का विज्ञि द्वारा निरूपण, केन्द्रीय प्रगति के नये नाया विनाशन, जन्म-नृत्य संविधानों एवं सूचकांक।
- राधारण मानसिक योग्यता।
- उर्कशित और विश्लेषणागत योग्यता।

इतिहासिक Knowledge :-

सामान्य हिन्दी :-

- रामिं और संघि विवरण।

- सामासिक पदों की रचना और समास—विग्रह ।
- उपसर्ग ।
- प्रत्यय ।
- पर्यायवाची शब्द ।
- विपरीतार्थक (विलोम) शब्द ।
- अनेकार्थक शब्द ।
- शब्द – युग्म ।
- संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया ।
- शब्द – शुद्धि : अशुद्ध शब्दों का शुद्धीकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण ।
- वाक्य – शुद्धि : अशुद्ध वाक्यों का शुद्धीकरण और वाक्यगत अशुद्धि का कारण ।
- वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द ।
- मुहावरे और लोकोक्तियाँ ।
- अंग्रेजी के पारिभाषिक (तकनीकी) शब्दों के समानार्थक हिन्दी शब्द ।
- कार्यालयी पत्रों से सम्बन्धित ज्ञान ।

Language Knowledge :-

General English :-

- Tenses/Sequence of Tenses.
- Voice : Active and Passive.
- Narration : Direct and Indirect.
- Use of Articles and Determiners.
- Use of Prepositions.
- Translations of Simple (Ordinary/Common) Sentences from Hindi to English and vice-versa.
- Glossary of official, Technical Terms (with their Hindi Versions).
- Synonyms.
- Antonyms.
- One word substitution.
- Comprehension of a given passage.
- Knowledge of writing letters: Official, Demi Official, Circulars and Notices.


कम्प्यूटर का ज्ञान :-

- Characteristics of Computers.
- Computer Organization including RAM, ROM, File System, Input & Output Devices.
- MS-Office (Exposure of word, Excel/Spread Sheet, Power Point).

समसामयिक घटनाएँ :-

- राजस्थान, भारतीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं एवं मुददे ।
- वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, रथान एवं संस्थाएं ।
- खेल एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियाँ ।

15. बोर्ड की वेबसाइट:—आन्ध्री बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से समस्त सूचना एवं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना /स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में रिथत स्थान कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर-302018 को सम्बोधित किया जायेगा।



(हरि प्रसाद शर्मा)
अध्यक्ष